

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद कं.-84ए/2014
प्रस्तुति दिनांक-07.08.2014

श्रीमति सम्हारोबाई पति बखरू धुर्वे (पिता बिगारी), उम्र 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम खुरशीपार, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आवेदिका/वादिनी

बनाम

1-शिवदयाल पिता धन्नुसिंह, उम्र 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम खुरशीपार, तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)
2-म.प्र. शासन तर्फे कलेक्टर महोदय,
जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — — अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

आदेश

(दिनांक-21/11/2014 को पारित)

- 1- इस आदेश के द्वारा आवेदिका/वादिनी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) का निराकरण किया जा रहा है।
- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- 3- आवेदिका/वादिनी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा खुरशीपार प.ह.नं. 52, रा.नि.म. गढ़ी, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 38/2 रकबा 2.00 एकड़/0.809 हेक्टेयर भूमि पर वादी लगभग 25-30 वर्ष से भूदान यज्ञ मण्डल से भूमि प्राप्त करने के उपरांत शांतिपूर्वक मालिक व काबिज है, जिस पर उसने वर्तमान में फसल लगायी है। विवादित भूमि पर वादिनी के आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में वादिनी ने थाना गढ़ी में रिपोर्ट भी दर्ज करायी है, विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कोई सरोकार नहीं है तथा वह वादिनी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि को हड़पना चाहता है। अतएव प्रतिवादी क्रमांक-1 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर वाद के निराकरण तक विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोका जावे।

4— अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 ने आवेदन के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का वर्ष 1991 से कब्जा चला आ रहा है, जिस पर वह लगातार फसल भी प्राप्त कर रहा है। वादिनी वर्ष 2005 में अपने मायके से वापस आयी तो उसने प्रतिवादी को विवादित भूमि पर काश्त करने से मना किया, तब प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर उसका कब्जा होने के आधार पर मालिक होना व्यक्त किया। वादिनी ने वर्ष 2012 में धारा-145 द.प्र.सं. का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी बैहर के समक्ष पेश किया, जिस पर उक्त राजस्व न्यायालय ने दिनांक-26.04.2013 के अनुसार आवेदन खारिज कर वादिनी को दखल देने से रोका गया है। उक्त आदेश वादिनी पर बंधनकारी है, जिसकी चुनौती सक्षम न्यायालय में नहीं दी गई है। वादिनी विवादित भूमि की केवल नाम मात्र की स्वामी है, जिस पर उसका कब्जा नहीं है। अतएव वादिनी का आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 प्रकरण में एकपक्षीय है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है।

6— **आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:-**

- 1— क्या प्रथम दृष्ट्या मामला आवेदिका/वादिनी के पक्ष में है?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन आवेदिका/वादिनी के पक्ष में है?
- 3— क्या आवेदिका/वादिनी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उसे अपूर्ण क्षति होना संभावित है।

: : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

7— आवेदिका/वादिनी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि से संबंधित खसरा फाम वर्ष 2014-15 की सत्यप्रतिलिपि एवं राजस्व नक्शा की सत्यप्रतिलिपि पेश की है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि वादिनी के स्वत्व की होना प्रकट होती है। प्रतिवादी की ओर से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के आदेश दिनांक-26.04.2013 की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई है, जिसमें राजस्व न्यायालय द्वारा धारा-145 द.प्र.सं. के अंतर्गत आदेश करते हुये प्रतिवादी का विवादित भूमि पर 3-4 साल से कब्जा होना तथा वादिनी को उस पर दखल देने से रोका गया है। वादिनी द्वारा तहसीलदार बैहर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र की सत्यप्रतिलिपि के

अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदिका सम्हारोंबाई ने प्रतिवादी के द्वारा उसकी भूमि पर 5-6 वर्ष से जबरन कब्जा कर खेती करना उल्लेखित किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि पर वादिनी का स्वत्व होना प्रकट होता है, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 का लगभग 5 वर्ष से आधिपत्य में होना प्रकट होता है।

8— वादिनी ने अपने समर्थन में शपथकर्ता बसंत, नसीबसिंह, बलदेवसिंह के शपथ पत्र पेश किये हैं, जबकि प्रतिवादी शिवदयाल ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण में वास्तविक रूप से किसका कब्जा है, इसका निराकरण साक्ष्य के उपरान्त गुण-दोषों पर किया जाना संभव है। इस प्रक्रम पर अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि पर मात्र आधिपत्य को विचार में लिया जाना होता है। प्रकरण में वादिनी ने केवल स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या वादिनी का आधिपत्य नहीं होना प्रकट होता है, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक-1 का आधिपत्य होना प्रकट होता है। अतएव इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादिनी के पक्ष में नहीं बनता है।

9— प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि पर वादिनी का आधिपत्य होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में वादिनी के पक्ष में सुविधा का संतुलन होना एवं उसे अपूर्णीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। इस प्रकार उक्त तीनों विचारणीय बिन्दु वादिनी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

10— उपरोक्त सभी कारणों से वादिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. (आई.ए.नं. 1) निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर